

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 20.03.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 83/2019 धारा 506/504/332/353/147/148/149 भा0द0वि0 में अभियुक्त पप्पू पुत्र हबीब निवासी कौरोवा थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 29/2024 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 में अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र कमलेश कुमार निवासी ग्राम मुन्ना निवादा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. आरिफ उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र जफरुद्दीन निवासी मोहल्ला नयावास पानी की लाल टंकी के पास बकरा घाटी कस्बा व थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा 2.बाबूलाल उर्फ शमशेर उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र स्व0 हबीब निवासी 37/22 सय्यदपडा आलगमगंज थाना लोहामण्डी जनपद आगरा 3.शहवान उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र रशीद निवासी मोहल्ला शेख रहीम बन्ने वाले बाबा के पास कस्बा व थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा के कब्जे से 10 पेटी देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड (प्रत्येक पेटी में पैतालिस-पैतालिस क्वार्टर) बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 39/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त सत्यवीर पुत्र रमेश बाबू उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम मरुआ शाहजहाँपुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 15/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त विनय यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी महमूदपुर बुजुर्ग थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के पास से एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 57/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व 10 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त आजाद मोहम्मद उर्फ बच्चा पुत्र फजलू उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम रमऊ थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात के पास से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया महमूला 10 लीटर नाजायज शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 22/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र श्री गेंदेलाल निवासी सरवाटप्पा थाना रूरा जनपद कापनुर देहात हाल पता सैल्समैन नेराकृपालपुर ठेका देशी शराब उम्र करीब 30 वर्ष के कब्जे से 18 अदद क्वार्टर अवैध शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 16/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त सतीश चन्द्र यादव पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र यादव उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम किशौरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 21 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 86/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त अवधेश पुत्र रामपाल निवासी घाघू थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 24 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब मसाला इण्डियन टाइगर मार्का बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 89/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त बेचेलाल गुप्ता पुत्र स्व0 गेदन लाल गुप्ता उम्र करीब 53 वर्ष निवासी असालतगंज बाजार थाना रसूलाबाद कानपुर देहात के कब्जे से 29 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 90/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।